प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 13.09.2025

“थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग/सोशल मीडिया फेसबुक पर हिन्दू देवी देवताओं के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करने से सम्बन्धित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में अपराधों एवं भ्रामक/आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम मे थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.09.25 को थाना सदर बाजार पर वादी अशनील सिंह पुत्र ओमपाल सिंह, विभाग मंत्री विश्व हिन्दु परिषद, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 545/2025 धारा 299/302/353(3) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण 1. लूबीना जिआ 2. मोहम्मद जमान खान 3. अर्श कुरैशी बावत अभियुक्तगण द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर हिन्दू देवी देवताओं के विरूद्ध आपत्तिजनक, हिन्दु धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के इस कृत्य से जनपद में हिन्दू समुदाय में काफी आक्रोश उत्पन्न हुआ। दिनांक 13.09.2025 को अभियुक्ता लूबीना जिआ पत्नी स्व0 जियाउर्रहमान निवासी मोहल्ला तारीन जलालनगर, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर को गदियाना तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण

लूबीना जिआ पत्नी स्व0 जियाउर्रहमान नि0मो0 तारीन जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक 13.09.25 को गदियाना तिराहा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0स0 545/2025 धारा 299/302/353(3) बीएनएस

बरामदगी का विवरण

फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने में प्रयुक्त मोबाईल

अभियुक्ता को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 कुलदीप सिंह

म0उ0नि0 साक्षी

म0का0 कविता यादव